तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No.87/2024**	नम्बर व तारिख ... जो इस ... म की तामिलमें जारी हुए
23.8.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (अमृत कुमार प्रजापत पुत्र प्रतापराम जी, निवासी– सुथारवास, नई धनारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म कलावती सुपर मार्केट, रा.उ.मा.वि. के सामने, स्वरुपगंज, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (प्रतापराम प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म कलावती सुपर मार्केट, रा.उ.मा.वि. के सामने, स्वरुपगंज, जिला– सिरोही) उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 21.10.2021 को फर्म कलावती सुपर मार्केट, रा.उ.मा.वि. स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता अमृत कुमार प्रजापत पुत्र प्रतापराम जी, निवासी– सुथारवास, नई धनारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (Aabhas brand) का नमूना संख्या S-1495 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट क्रमांक:**L.S./701/Act/2021/819** दिनांक 16.11.2021 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 23.8.2024 को प्रतिवादीगण अमृत कुमार प्रजापत एवं प्रतापराम प्रजापत ने इस न्यायालय में संयुक्त लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि वे नियमानुसार शास्ति अदा करने हेतु तैयार है, इसलिये न्यूनतम शास्ति कर प्रकरण में राहत प्रदान करावे। जिस पर प्रतिवादीगण को सुना गया, उन्होंने अनुरोध किया कि यह उनका प्रथम अपराध है, उनके द्वारा उक्त घी आभास ब्राण्ड़ का निर्माण नही किया है व ऐसी खाद्य सामग्री नही बेचेंगे। अतः कम से कम जुर्माना कर राहत प्रदान करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने दिनांक 21.10.2021 को फर्म कलावती सुपर मार्केट, रा.उ.मा.वि. के सामने, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी विक्रेता अमृत कुमार प्रजापत पुत्र प्रतापराम जी से फर्म कलावती सुपर मार्केट की दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Ghee (Aabhas brand) के 26 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) में मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ Ghee (Aabhas brand) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच .....लगातार	

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

कार्या. जिला कलेक्टर सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:02:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.87/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	हेतु गवाह श्री सिद्धार्थ तोमर, वार्ड बॉय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष कीमतन क्रय किये गये एवं लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1495, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Ghee (Aabhas brand) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता अमृत कुमार प्रजापत एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किये। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Ghee (Aabhas brand) के चारों नमूना पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-1495 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता अमृत कुमार प्रजापत व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता अमृत कुमार प्रजापत व उक्त गवाह श्री सिद्धार्थ तोमर तथा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पँहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 22.10.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीतसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 21.10.2021 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म कलावती सुपर मार्केट, रा.उ.मा.वि. के सामने, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता अमृत कुमार प्रजापत से खाद्य पदार्थ Ghee (Aabhas Brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (Aabhas Brand) का नमूना संख्या S-1495 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की .....लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:02:22 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.87/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

पदार्थ Ghee (Aabhas Brand) का नमूना संख्या S-1495 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:**L.S./701/Act/2021/819** दिनांक 16.11.2021 में अमानक (sub-standard) पाया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि फर्म कलावती सुपर मार्केट, रा.उ.मा.वि. स्वरुपगंज के प्रोपराईटर प्रतापराम प्रजापत (प्रतिवादी संख्या–2) है। यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने इस प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य पदार्थ Ghee (Aabhas brand) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–2 (प्रतापराम प्रजापत) ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Aabhas brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Aabhas brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी प्रतापराम प्रजापत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराइटर, फर्म कलावती सुपर मार्केट, रा.उ.मा.वि. के सामने, स्वरुपगंज, तहसील–पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी प्रतापराम प्रजापत को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 25.9..2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:02:22 IST
Reason: SelfAttested